वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति

सी.पी. सुजय

स्वतंत्र भारत में विकास योजनाओं की शुरुआत से ही सरकार ने सामाजिक कल्याण के प्रयासों में वृद्धों को प्राथमिकता दी है। हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को निर्दिष्ट करते हैं कि वे अपनी आर्थिक क्षमताओं के अनुसार वृद्धों को शासकीय सहायता दें। वृद्धों को दिए जाने वाले शुरुआती सामाजिक सुरक्षा लाभों में पेंशन व आवास भी शामिल था। राज्य सरकारों ने 50 व 60 के दशकों में ये प्रयास शरू किए थे। आज अधिकांश राज्यों के पास अपनी कोई न कोई वृद्धावस्था पेंशन स्कीम है। बाद के दशकों में वृद्धों के लिए कई दूसरी कल्याण योजनाएं भी चालू की गई थीं।

हमारी सामाजिक कल्याण नीति का निर्धारण मानवतावादी सिद्धांतों की रोशनी में किया गया। इसमें सरकार ने वृद्धों को कल्याण लाभों, सहायता एवं संस्थानिक सेवाओं का स्वाभाविक ग्राहक मात्र माना। इन योजनाओं के निर्माण में उनकी भागीदारी की ज़रूरत नहीं समझी गई।

दूसरी ओर वृद्धों की बड़ी संख्या को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार के लिए आर्थिक तंगी एक बड़ी बाधा रही है। पेंशन योजना में शामिल लोगों की संख्या और पेंशन राशि, दोनों बहुत कम है। इससे यह योजना एक सुधारात्मक उपाय बन गई जिसका उद्देश्य वृद्धावस्था से जुड़े जोखिमों से रक्षा की बजाय अभावों व निर्धनता से बचाव करना ज़्यादा था।बड़ी संख्या में वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा हेतु एक प्रभावी और समग्र ढांचे का अभाव आज भी बना हुआ है।

नीति निर्माण

सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष-1999 में वृद्धों के लिए एक राष्ट्रीय नीति घोषित की। वर्ष 2000 को वृद्धों के लिए राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया। इसके पहले 1987-88 में एक अंतर मंत्रालयीन कमेटी का गठन हुआ था। परंतु नीति निर्माण की प्रक्रिया ने 97-98 में ही गति पकड़ी। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस प्रक्रिया में स्वैच्छिक संगठनों, शोध संस्थानों आदि की सक्रिय भागीदारी रही। इसके प्रारूप दस्तावेज़ पर विभिन्न कोणों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर विचार-विमर्श किया गया।

राष्ट्रीय नीति कुछ बुनियादी और परस्पर-सम्बंधित सरोकारों की ओर इशारा करती है। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के कारण हुए जनसांख्यकीय बदलावों और छोटे परिवार के प्रचलन के कारण कामकाजी लोगों पर वृद्धों की देखभाल की बढ़ती ज़िम्मेदारियां; वृद्धों की बड़ी संख्या को मात्र न्यूनतम सामाजिक मदद उपलब्ध कराने का भारी काम; औद्योगिकीकरण व शहरीकरण के कारण अर्थव्यवस्था में आए बदलावों के प्रभाव; नई तकनीकों, नई जीवन शैली व मूल्यों का परिवार की संरचना, कामकाज व बुज़ुर्गों की देखभाल करने की क्षमता पर प्रभाव आदि शामिल हैं।

इस दस्तावेज में विधवाओं, महिलाओं, गरीबों, ग्रामीणों, विकलांगों एवं मानसिक रोगियों सहित गंभीर रूप से बीमार वृद्धों की दुर्दशा भी रेखांकित की गई है।

वृद्धों के बारे में राष्ट्रीय नीति खुली हुई है। यह वृद्धों की माली सुरक्षा हेतु वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य देखभाल, आवास, कल्याण, वृद्ध महिलाओं को विशेष महत्व, दुर्व्यवहार व शोषण से बचाव तथा ग्रामीण क्षेत्र के वृद्धों पर विशेष ध्यान देने जैसे कामों को आश्वस्त करती है। नीति में इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि सरकार स्वयं के बलबूते पर इन उद्देश्यों को आंशिक रूप से ही प्राप्त कर सकती है।

कितनी गम्भीरता है

राष्ट्रीय नीति के इन बड़े-बड़े वादों को गंभीरता से लेना मुश्किल है। सुधार के इस दौर में सरकार की बदतर वित्तीय स्थिति को देखते हुए, नीति में आश्वस्त मददों के लिए